"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013 (आषाढ़ 25, 1935)

क्रमांक-8782/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 25 सन् 2013)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1899) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके प्रश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये.

अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"भागीदारी—

(1) **भागीदारी की लिखत—**

(क)	जहां भागीदारी में, अभिदाय के कोई अंश नहीं है या जहां अभिदाय के ऐसे अंश (नगद के माध्यम से लाये गये हों) रुपये पचास हजार से अधिक नहीं है.	एक हजार रुपये
(ख)	जहां अभिदाय के ऐसे अंश (नगद के माध्यम से लाये गये हों) रुपये पचास हजार से अधिक है.	अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए अभिदत्त अंशों का दो प्रतिशत.
(ग)	जहां अभिदाय के अंश संपत्ति के माध्यम से लाये गये हों (नगद छोड़कर),	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत.
	अथवा	
	जहां कालोनी विकास के प्रयोजन हेतु भागीदार अपनी स्थावर संपत्ति के अंश का अभिदाय, भागीदारी फर्म के पक्ष में करता हो.	

(2) **भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति—**

(क)	जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्ति होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को भागीदारी में अभिदाय के	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्रमांक-23) के रूप में लगता है.

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 के प्रावधान के संबंध

अनुच्छेद 46 :—

46. **भागीदारी—**

(क)	**भागीदारी की लिखत :**		
	(क) जहां भागीदारी की कोई पूंजी नहीं है या वह 25,000 रुपये से अधिक न हो;	—	एक हजार रुपये.
	(ख) जहां वह 25,000 रुपये से अधिक हो;	—	वही शुल्क जो अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए भागीदारी की पूंजी की रकम के बंधपत्र (क्रमांक-15) पर लगता है.
(ख)	भागीदारी का विघटन;	—	दो सौ पचास रुपये.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

अपने अंश के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने अंश के रूप में ली जाती है.

(ख) किसी अन्य मामले में. पांच सौ रुपये.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण के साथ-साथ आर्थिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों में परिवर्तन के कारण भागीदारी के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है. शहरीकरण एवं कालोनी विकास के उद्देश्यों की पूर्ति भी भागीदारी के माध्यम से की जा रही है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि भागीदारी के इन स्वरूप के लिए भी स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया जाए.

यत:, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 में संशोधन किया जाये.

अतएव, उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 में संशोधन की आवश्यकता है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 12 जुलाई, 2013

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 2, 49 (8), 50–ख (1), 50–ख (2), 50–ख (7) एवं 50–ख (9).

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 2 – परिभाषाएं.

खण्ड (ञ) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट प्राधिकारी या निकाय, जिसका प्रयोजन सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन, निर्वाचक नामावली तैयार करने पर अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण;

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 49 – वार्षिक साधारण सम्मिलन.—

उप–धारा (8) "परन्तु रजिस्ट्रार इस उप–धारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किए जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा."

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 50 – ख–राज्य निर्वाचन आयोग.—

उप–धारा (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

उप–धारा (2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा, जैसा कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक हो.

* * * * * * * * * * * * * *

उप–धारा (7) आयोग को निर्वाचन में अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा के लिए भी सशक्त किया जाएगा और ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान पूर्णरूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

उप–धारा (9) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन करवाने के लिए उपगत समस्त व्यय, संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किये जायेंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

6. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 50-ख की उप-धारा (7) का संशोधन.**

"(7) आयोग को निर्वाचन में सहयोग एवं सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा करने की शक्तियां होंगी तथा ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान संपूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे."

7. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— **धारा 50-ख की उप-धारा (9) का संशोधन.**

"(9) किसी सोसाइटी के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन करने में उपगत समस्त व्यय, राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप में आयोग को भुगतान किये जायेंगे तथा उसकी वसूली उस सोसाइटी से, राज्य सरकार द्वारा विहित अनुसार की जायेगी."

8. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्र. 1 सन् 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन.**

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 2 एवं 50-ख के वर्तमान प्रावधानों को और अधिक प्रभावशील एवं सुसंगत बनाये जाने हेतु "छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्र. 1 सन् 2013)" राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं होने के कारण प्रख्यापित किया गया. अध्यादेश में किये गये धारा 2 एवं 50-ख के संशोधन, के अतिरिक्त धारा 49 के प्रावधान को और अधिक प्रभावशील बनाये जाने हेतु संशोधन इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है. अतएव, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में संशोधन प्रस्तावित है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

स्थान : रायपुर
दिनांक 12 जुलाई, 2013

ननकीराम कंवर
सहकारिता मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय विज्ञान

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 की धारा 50-ख में सोसाइटी के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन से संबंधित प्रावधान है, जिसमें राज्य शासन पर प्रति वर्ष अनुमानित रुपये 50 लाख (शब्दों में रुपये पचास लाख) का केवल आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"
